13/07/2021

पत्रावली में श्री पकुलाराम उर्फ पालाराम आदि पक्षकार [illegible] द्वारा पालीगत आय प्रमाण से तहसील करवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली अग्रिम [illegible] करवाने से कम है व दायरिज [illegible] है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनूं)

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनूं)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.09.14 16:20:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner